न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 113/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान–302017, जरिये प्राधिकृत अधिकारी आशिष भनोत

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स न्यू इंडिया मेडिकल एजेंसीज प्रोपरादटर मोहम्मद इकबाल**
   पता–1–न्यू इंडिया मेडिकल स्टोर, मोहन मार्केट, स्टेशन रोड, सीकर, राजस्थान–332001
   पता–2–कमर्शियल प्रॉपर्टी शॉप नम्बर 4 व 5, स्टेशन रोड, सीकर, राजस्थान–332001
   पता–3–कमर्शियल प्रोपर्टी न्यू इंडिया मेडिकल एजेंसीज, वार्ड नं. 4, मोहन मार्केट स्टेशन रोड, सीकर, राजस्थान–332001
2. **अब्दुल जब्बार** पता–वार्ड नं. 4, रेगरों का कुआ, मोहल्ला व्यापारियां, सीकर, राजस्थान–332001
3. **मोहम्मद इकबाल** पता–वार्ड नं. 3, फतेहपुर रोड, खटिकान प्याऊ के पीछे, सीकर, राजस्थान–332001
4. **फिरोज बानो** पता–वार्ड नं. 4, रेगरों का कुआ, मोहल्ला व्यापारियां सीकर, राजस्थान–332001
5. **अब्दुल जब्बार पुत्र हाजी अब्दुल रहमान**
   पता–1–वार्ड नं. 4, रेगरों का कुआ, मोहल्ला व्यापारियां सीकर, राजस्थान–332001
   पता–2–कमर्शियल प्रोपर्टी न्यू इंडिया मेडिकल एजेंसीज, वार्ड नं. 4, मोहन मार्केट स्टेशन रोड, सीकर, राजस्थान–332001
   पता–3–कमर्शियल प्रोपर्टी शॉप नं. 5, स्टेशन रोड, सीकर, राजस्थान–332001
6. **मोहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल रहमान**
   पता–1–वार्ड नं. 3, फतेहपुर रोड, खटिकान प्याऊ के पीछे, सीकर, राजस्थान–332001
   पता–2–कमर्शियल प्रोपर्टी शॉप नं. 4, स्टेशन रोड, सीकर, राजस्थान–332001
7. **फिरोज़ बानो पत्नी मोहम्मद इकबाल** पता–कमर्शियल प्रोपर्टी शॉप नं. 4, स्टेशन रोड, सीकर, राजस्थान–332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 29 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगणों की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक अचल सम्पति **वार्ड नं. 23 पुराना, स्टेशन रोड़, सीकर पर गली में अवस्थित दुकान संख्या 5** बिना छत के है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 10.8 वर्गगज** है। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1989 को पंजीबद्ध किया गया। जो कि पृष्ठ संख्या 1742 जिल्द संख्या 168 पुस्तक संख्या 2 पृष्ठ संख्या 241–250 पर पंजीबद्ध है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सड़क 22 फीट चौड़ी, पश्चिम दिशा नोहरा सायल, उत्तर दिशा में दुकान संख्या 6 एवं दक्षिण दिशा में दुकान नम्बर 4 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹75,00,000/– (अक्षरे रूपये पिचहत्तर लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **23.07.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **23.07.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगणों की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक अचल सम्पति **वार्ड नं. 23 पुराना, स्टेशन रोड़, सीकर पर गली में अवस्थित दुकान संख्या 5** बिना छत के है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 10.8 वर्गगज** है। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1989 को पंजीबद्ध किया गया। जो कि पृष्ठ संख्या 1742 जिल्द संख्या 168 पुस्तक संख्या 2 पृष्ठ संख्या 241–250 पर पंजीबद्ध है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सड़क 22 फीट चौड़ी, पश्चिम दिशा नोहरा सायल, उत्तर दिशा में दुकान संख्या 6 एवं दक्षिण दिशा में दुकान नम्बर 4 है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **29 जनवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर